पत्रांक-बी-1-बजट-लेखाशीर्षक-8342- // 523 // राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 20/9 ,2022

-: आदेश :-

कृपया शासन के पत्र संख्या-889/ग्यारह-2-2022-9(45)/2020 दिनांक 19-09-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या-2757-2758/2004 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-02-2004 के अनुपालन हेतु लेखाशीर्षक 8342 के अन्तर्गत ब्याज वाले जमा खातों के संचालन को बंद करने तथा उक्त खातों में जमा धनराशियों को विभाग के निम्नवत् **लेखाशीर्षक** में अन्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

"0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर
102-राज्य व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियॉ
05-उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियॉ
0501-कर संग्रहण"

अत: शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आदेश दिया जाता है कि लेखाशीर्षक 8342 के अन्तर्गत ब्याज वाले जमा खाातें (इंटरेस्ट बियरिंग एकाउंट्स) के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पदनाम से खोले गये डिपाजिट खातो का बन्द करते हुए उसमें जमा धनराशियों को विभाग के उपरोक्त प्राप्ति लेखाशीर्षक में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए तीन दिवसों के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए निम्न प्रारुप में (चालान की सत्यापित प्रति के साथ) सूचना अपर आयुक्त(लेखा) के ई-मेल आई0डी0 hqbudget@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें :-

बंद किये गये पी0एल0ए0 का नाम व पता	लेखाशीर्षक जिसमें ये खाता संचालित किया जा रहा था	स्थानान्तरित धनराशि	चालान संख्या एवं दिनांक	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की गयी

यहॉ यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उक्त सूचना से महालेखाकार कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराना है।

संलग्नक:- शासन के पत्र संख्या-889/ग्यारह-2-2022-9(45)/2020 दिनांक 19-09-2022
की छायाप्रति मय सूची के

20/9/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।

2- अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आहरण वितरण अधिकारियों से जमा की सूचना प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3- अपर आयुक्त(जी0एस0टी0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

5-संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6-आहरण वितरण अधिकारी, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अलीगढ, एटा, हाथरस, बरेली, पीलीभीत, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ, बलिया, मऊनाथ भंजन, सोनभद्र, मेरठ, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, झांसी एवं ललितपुर को प्रभावी कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु।

7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजियाबाद, बुलन्दशहर, लखनऊ कलेक्ट्रेट, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, सिविल लाइन्स प्रयागराज, अलीगढ, एटा, हाथरस, बरेली, पीलीभीत, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ, बलिया, गऊनाथ भंजन, सोनभद्र, मेरठ, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, झांसी एवं ललितपुर

(शैलेश गिरि)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-४८१/ ग्यारह-2-2022-9(45)/2020

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः १९ सितम्बर, 2022

विषयः- विशेष अनुमति याचिका संख्या-2757-2758/2004 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-02-2004 के अनुपालन हेतु लेखा शीर्षक "8342" के अन्तर्गत ब्याज वाले जमा खातों के संचालन को बन्द करने के संबंध में।

महोदया,

शासन द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-2757-2758/2004 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2004 के अनुपालन में लेखा शीर्षक "8342" के अन्तर्गत ब्याज वाले जमा खातों (इंटरेस्ट बियरिंग एकाउंट्स) के संचालन हेतु शासनादेश सं0- क0नि0-2-रिट-121/ 11-2004-14(146)/03टी0सी0-1 दिनांक 25.02.2004, शासनादेश सं0-रिट-228/ ग्यारह-2- 2005-14(146)/03 टी0सी0-1 दिनांक 28.04.2005 तथा शासनादेश सं0-रिट-345/ ग्यारह-2-2006-14(146)/03 टी0सी0-1 दिनांक 21.07.2006 के द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया था, जिसके माध्यम से क्रमशः 60 जनपदों, 03 जनपदों तथा 02 जनपदों में व्यापार कर विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पदनाम से डिपाजिट खाता खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश कर के Compensatory होने के सम्बंध में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अन्ततोगत्वा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश- 2007 लागू किया गया, जिसे पूर्ववर्ती दिनांक 01.11.1999 से प्रभावी करते हुए लागू किया गया। अग्रेतर यह अध्यादेश उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 (यू0पी0 एक्ट सं0- 30/2007) से प्रस्थापित किया गया। उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 की धारा-17 में उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2000 की समस्त कार्यवाही का Validation किया गया है।

3. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिकाओं में से प्रमुख याचिका संख्या- रिट टैक्स नं0-1484/2007 सर्वश्री आई0टी0सी0 लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 पारित किया गया। निर्णय दिनांक 23.12.2011 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 द्वारा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया।

4. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के इस निर्णय को याचिकाकर्ताओं द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। प्रवेशकर अधिनियम की वैधता के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos-997-998 of 2004 (State of U.P. &Ors. Vs M/S Indian Oil Corporation Ltd. ETC...)अंतिम रूप से निर्णय दिनांक 21 मार्च, 2017 पारित किया गया। इस निर्णय एवं आदेश से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित सभी अंतरिम आदेशों को 31 मई, 2017 तक जारी रखते हुए सभी अपील/रिटपिटीशन्स को डिस्पोज किया गया तथा Appellants को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष Fresh Petitions दायर करने की छूट प्रदान की गयी। कालांतर में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेशों की समय-सीमा 31 मई, 2017 से बढ़ाकर 07 जुलाई, 2017 की गयी तथा इस अवधि में Appellants को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष Fresh Petitions दायर करने की छूट प्रदान की गयी।

5. सर्वश्री इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष Fresh Petition संख्या-25730/2017 दायर की गयी, इसके अतिरिक्त 82 अन्य Appellants द्वारा भी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष Fresh Petitions दाखिल की गयीं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन सभी Fresh Petitions का निस्तारण एक ही निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.05.2018 से किया गया तथा सभी याचिकाएं खारिज की गयीं। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.05.2018 का प्रस्तर 190 निम्नवत् है-*"190- In Consequence and as a result of discussion made above, we do not find any merit in these petitions and they are accordingly dismisses. The State shall be free to encash the bank guarantees or other security, if any, furnished by the petitioners."*

6. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0- 25730 (2017) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.05.2018 द्वारा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की वैधता को स्थापित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 04.05.2018 के पश्चात याचिका कर्ताओं द्वारा मूल प्रवेश कर राशि जमा करा दी गयी है। वर्तमान में प्रवेश कर अधिनियम की वैधता पर कोई विवाद नहीं है।

7. वर्तमान में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सं0- 31748-31759 (2018) दिनांक 22.04.2019 में पारित निर्णय के क्रम में केवल याचिका कर्ताओं की प्रवेश कर पर ब्याज की देयता का बिंदु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष उक्त विचाराधीन याचिकाओं में व्यापारियों को प्रवेश कर अथबा उसके ब्याज की वापसी का कोई बिन्दु निहित नहीं है।

8. चूँकि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह स्पष्ट है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2004 को पारित अन्तरिम आदेश, प्रवेश कर अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, जो अब विवाद में नहीं है तथा प्रवेश कर अधिनियम पूरी तरह वैध है। उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की वैधता स्थापित होने से उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2000 के अन्तर्गत Levied, assessed, realized और collected प्रवेश कर भी वैधानिक है तथा राज्य सरकार इस धनराशि का Utilization विहित उद्देश्यों के लिये करने में सक्षम है, अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.2004 में पारित अन्तरिम आदेश-"The operation of the impugned judgment is stayed, subject to the appellant's depositing all taxes that may be realized by the appellant from the

respondents after 27.01.2004 in a separate interest bearing account. This amount and the interest accrued thereon shall be held subject to the further orders of this Court." के अनुपालन में विभिन्न जनपदों में खोले गये प्रश्नगत इंटरेस्ट बियरिंग एकाउंट्स को अब बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

9. अतः शासन द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-2757-2758/2004 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2004 के अनुपालन में लेखा शीर्षक "8342" के अन्तर्गत ब्याज वाले जमा खातों (इंटरेस्ट बियरिंग एकाउंट्स) के संचालन हेतु शासनादेश सं0- क0नि0-2-रिट-121/ 11-2004-14(146)/03 टी0सी0-1 दिनांक 25.02.2004, शासनादेश सं0-रिट-228/ ग्यारह-2- 2005-14(146)/03 टी0सी0-1 दिनांक 28.04.2005 तथा शासनादेश सं0-रिट-345/ ग्यारह-2-2006- 14(146)/03 टी0सी0-1 दिनांक 21.07.2006 के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्यापार कर विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पदनाम से खोले गये डिपाजिट खातों को बन्द करते हुए उसमें जमा धनराशियों को विभाग के निम्नवत् "लेखा शीर्ष" में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर
102-राज्य व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ
05-उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ
0501-कर संग्रहण"

10. यह शासनादेश वित्त विभाग के पत्रांक-यू0ओ0ई9-835/10-2020 दिनांक 08/07/2020 तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्रांकः जमा(राज्य)/पी.एल.ए/49466 दिनांक 07.09.2022 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-27 वैयक्तिक लेखा खातों का विवरण

19/9/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-८८१(1)/ ग्यारह-2-2022-9(45)/2020, तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः- कोषाधिकारी, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बरेली, पीलीभीत, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊनाथ भजन, सोनभद्र, मेरठ, बिजनौर, सिदार्थनगर, सुल्तानपुर, झांसी एवं ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

जिला कोषागार जहाँ लेखाशीर्ष "8342" के अन्तर्गत पी0एल0ए0 खाता संचालित है।

क्र0 सं0	जोन का नाम	क्र0 सं0	संबंधित जनपद	पी0एल0ए0 का नाम एवं पता	लेखाशीर्ष जिसमें ये खाता संचालित किया जा रहा था
1	गाजियाबाद प्रथम	1	गाजियाबाद	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर गाजियाबाद प्रथम	834200120010000
2	गाजियाबाद द्वितीय	2	बुलन्दशहर	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर बुलन्दशहर	834200120010000
3	लखनऊ प्रथम	3	लखनऊ	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर लखनऊ	834200120010000
		4	हरदोई	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर हरदोई	834200120010000
4	लखनऊ द्वितीय	5	लखीमपुर खीरी	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर लखीमपुर खीरी	834200120010000
5	कानपुर द्वितीय	6	कानपुर	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर कानपुर द्वितीय	834200120010000
6	इटावा	7	फिरोजाबाद	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर फिरोजाबाद	834200120010000
7	प्रयागराज	8	प्रयागराज	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर प्रयागराज	834200120010000
8	अलीगढ़	9	अलीगढ़	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर अलीगढ़	834200120010000
		10	एटा	असि0 कमिश्नर (ए) वाणिज्य कर एटा	834200120010000
		11	हाथरस	असि0 कमिश्नर (ए) वाणिज्य कर हाथरस	834200120010000
9	बरेली	12	बरेली	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर बरेली	834200120010000
		13	पीलीभीत	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर पीलीभीत	834200120010000
10	वाराणसी प्रथम	14	वाराणसी	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर वाराणसी	834200120010000
		15	गाजीपुर	असि0 कमिश्नर	834200120010000

				(प्रशासन) वाणिज्य कर गाजीपुर	
		16	चंदौली	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर नौबतपुर, चंदौली	834200120010000
11	वाराणसी द्वितीय	17	जौनपुर	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर जौनपुर	834200120010000
		18	आजमगढ़	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर आजमगढ़	834200120010000
		19	बलिया	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर बलिया	834200120010000
		20	मऊनाथ भजन	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मऊनाथ भजन	834200120010000
		21	सोनभद्र	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सोनभद्र	834200120010000
12	मेरठ	22	मेरठ	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मेरठ	834200120010000
13	मुरादाबाद	23	बिजनौर		8342
14	गोरखपुर	24	सिदार्थनगर	प्रवेश कर ब्याज कोषागार सिदार्थनगर	834200120010000
15	अयोध्या	25	सुल्तानपुर	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सुल्तानपुर	834200120010000
16	झांसी	26	झांसी	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर झांसी	8342
		27	ललितपुर	असि0 कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर ललितपुर	8342